न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी– श्री प्रमोद कुमार,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 11/2021

प्रार्थीगण	बनाम विप्रार्थीगण
श्रीमति जड़ाव देवी पत्नि स्व श्री रणछोड़राम पुत्री किस्तुराराम जाति दर्जी निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा	1.ओमप्रकाश पुत्र मगाराम जाति दर्जी 2. बंशीलाल पुत्र मगाराम जाति दर्जी 3. रामलाल पुत्र मगाराम जाति दर्जी 4. बाबुलाल पुत्र हिराराम जाति दर्जी 5. खेमराज पुत्र गुणेशाराम जाति दर्जी 6. पुनमचन्द पुत्र गुणेशाराम जाति दर्जी 7. भवेन्द्र कुमार पुत्र गुणेशाराम जाति दर्जी 8. भंवरलाल पुत्र गुणेशाराम जाति दर्जी निवासीयान होडु तहसील सिणधरी जिला बाडमेर। 9. भंवरीदेवी पत्नि चनणाराम पुत्री किस्तुराराम जाति दर्जी निवासी सजनी बाई आश्रम के पास, समदडी रोड बालोतरा, तहसील पचपदरा जिला बाडमेर। 10.तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री भंवरलाल सारण, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. प्रतिवादी सं. 10 के पैरोकार सरकार उप0। शेष एकतरफा।

निर्णय

दिनांक– 31.01.2024

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थीनीगण ने श्रीमानजी के समक्ष एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत श्रीमानजी के समक्ष पेश किया है जिसमें वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थीनीगण को वाद में सफलता मिलने की पूर्ण सम्भावना है। कि प्रार्थीनी व विप्रार्थीगण हिन्दु है हिन्दु विधि से शासित होते है। स्वर्गीय घुडाजी के दो पुत्र पदमा[illegible]तीराम थे। पदमाराम लाऔलाद थे जिसमें मोतीजी के बड़े पुत्र मगारा[illegible] था। कि स्वर्गीय धुडा के खातेदारी की भुमि मौजा वणाको का [illegible] सिणधरी में खसरा स. 15 रकबा 5.0967 हैक्टयर (31.12 बीद्या) खसरा स. 55 रकबा [illegible]636 हैक्टयर (10.19 [illegible]) खसरा स. 57 रकबा 2. 8396 हैक्टयर (23.14 बीद्या) कुल रकबा 9.6999 हैक्टेयर भुमि आई हुई जो घुडाजी के खातेदारी का था। धुडाजी के स्वर्गवास के बाद उनके दो पुत्र पदमाराम व मोतीराम के नामन्तकरण दर्ज किया गया। जिससे उक्त खेत मोती पुत्र घुडा के 1/2 के खातेदारी का था। मोतीजी के तीन पुत्र किस्तुराराम हिराराम व गुणेशाराम थे। प्रार्थीनी व विप्रार्थीनी स. 09

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:43:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर

स्वं किस्तुभाराम की जायन्दा पुत्रीयां है। कि हिन्दु उत्तराधिकारी की प्रथम अनुसुची व धारा 40 राज. काश्तकारी अधिनियम के अनुसार प्रार्थीनी मृतक किस्तुराराम पुत्र धुडाजी की वारीस जायन्दा पुत्री होने से स्व किस्तुराराम पुत्र मोतीराम के हक हिस्से की खातेदारी भुमि की स्वतः ही खातेदार हो गई है भुमि पर प्रार्थीनी अपने हिस्से की 1/12 हिस्से पर आज दिन तक काबिज काश्त है। मोतीजी पुत्र धुडाजी के फौत होने पर उनके पुत्रो का म्युटेशन भरा गया जो राजस्व अधिकारी पटवारी व आरआई ने बिना कोई जांच किये मोतीजी के पुत्र किस्तुराराम व उसके वारीसान उसकी पत्नि सुआदेवी व उनकी दो पुत्रियों को छोडते हुए केवल मोतीजी के दो पुत्रो हिराराम व गुणेशाराम के नाम ही म्युटेशन भर दिया जबकि मोती के तीन पुत्र किस्तुरा, हिराराम गुणेशाराम के नाम से म्युटेशन भरा जाना था। ऐसा गलत भरा गया म्युटेशन शुरू से ही अवैद्य व शुन्य है। मगर वादीनी अपने स्वर्गीय पिता किस्तुराराम की जिन्दा वारिस दो पुत्रीयां व पत्नि होते हुए उन्हे बिना नोटिस दिये उपरोक्त मिटेशन भरा गया।कि प्रार्थीनी व विप्रार्थीनी स.09 अपने स्वर्गीय पिता किस्तुराराम पुत्र मोतीजी की जिन्दा वारिस पुत्रीया है तथा वादीनी अपने पिता की भुमि में अपने हक हिस्से की खातेदारी भूमि में वादीनी का 1/12 हिस्सा खातेदारी का वादीनी है व प्रतिवादी स. 09 का 1/12 हिस्सा है। शेष हिस्सा प्रतिवादी स. 01 ता 03 मगाराम गाद पुत्र पदमाराम के पुत्रो का 1/2 हिस्सा है हिराराम के पुत्र का 1/6 हिस्सा है, प्रतिवादी स. 05 ता 08 प्रतिवादी स. 04 गुणेशाराम के पुत्रो का 1/6 हिस्सा है। तथा प्रार्थीनी अपने पिता के 1/6 हक हिस्से में अपने हिस्से आये 1/12 हिस्से अनुसार कब्जा व काश्त है। अभी हाल में ही प्रार्थीनी की बहन विप्रार्थीनी स. 09 द्वारा बंटवाडा का दावा करने पर नोटिस सम्मन उसका नाम उपरोक्त खसरान की भुमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही होने का पता चला तो प्रार्थीनी ने राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त कर प्रतिवादी स.01 ता 08 को अपने पिता किस्तुराराम की हिस्से भुमि में 1/6 हिस्से बराबर की भुमि पैतृक हक हिस्से की भुमि का 1/12 हिस्सा का इन्द्राज अपने नाम से कराने का कहा प्रतिवादी स. 01 ता 08 से रेकर्ड दुरस्ती हेतू दिनांक 30.12.2020 को कहा तो वे इन्कार हो गए और परन्तु विप्रार्थीगण स. 01 ता 08 उपरोक्त वादग्रस्त खसरान की भूमि को बेचान व रदोबदल करने पर आमादा है। यदि उक्त भूमि को बेंचान करने पर कानूनी पेचिदिगीया बढेगी तथा वाद हेतुक बड़ेगे। यदि प्रार्थीनी को बाद बेचान भूमि से काश्त व कब्जे से बेदखल कर दिसा तो अपूर्णीय क्षति होगी जिसका नकदी में आकलन नहीं किया जा सकेगा।

प्रार्थीनी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी सं. 9 के वकील उपस्थित हुए, परन्तु उनकी तरफ से जवाब पेश नहीं किया। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमनें वकील प्रार्थीनी की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। जिसमें पाया प्रार्थीनी व विप्रार्थीगण हिन्दु है हिन्दु विधि से शासित होते है। [illegible] धुडाजी के दो पुत्र पदमाराम व मोतीराम थे। पदमाराम लाऔलाद थे [illegible] मगाराम को पदमाराम ने गोद लिया था । कि स्वर्गीय धुडा के खातेदारी की भुमि मौजा [illegible]णाको का बेरा पटवार हल्का एड सिणधरी में खसरा स. 15 रकबा 5.0967 हैक्टयर (31.[illegible] बीघा) खसरा स. 55 रकबा 1.7636 हैक्टयर (10.19 बीघा), खसरा स. 57 रकबा 2. 8396 हैक्टयर (23.14 बीघा) कुल रकबा 9. 6999 हैक्टेयर भुमि आई हुई जो घुडाजी के खातेदारी का था। धुडाजी के स्वर्गवास के बाद उनके दो पुत्र पदमाराम व मोतीराम के नामन्तकरण दर्ज किया गया। जिससे उक्त खेत मोती पुत्र घुडा के 1/2 के खातेदारी का था। मोतीजी के तीन पुत्र किस्तुराराम हिराराम व

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:43:11 IST
Reason: SelfAttested

थे। प्रार्थीनी व विपार्थीनी स 09 स्व किस्तुराराम की जायन्दा पुत्रीया है। हिन्दु कारी की प्रथम अनुसुची व धारा 40 राज. काश्तकारी अधिनियम के अनुसार प्रार्थीनी कैस्तुराराम पुत्र धुडाजी की वारीस जायन्दा पुत्री होने से स्व किस्तुराराम पुत्र मोतीराम क हिस्से की खातेदारी भुमि की स्वत: ही खातेदार हो गई है भुमि पर प्रार्थीनी अपने से की 1/12 हिस्से पर आज दिन तक काबिज काश्त है। मोतीजी पुत्र धुडाजी के फौत ने पर उनके पुत्रो का म्युटेशन भरा गया जो राजस्व अधिकारी पटवारी व आरआई ने बिना कोई जांच किये मोतीजी के पुत्र किस्तुराराम व उसके वारीसान उसकी पत्नि सुआदेवी व उनकी दो पुत्रियों को छोडते हुए केवल मोतीजी के दो पुत्रो हिराराम व गुणेशाराम के नाम ही म्युटेशन भर दिया जबकि मोती के तीन पुत्र किस्तुरा, हिराराम गुणेशाराम के नाम से म्युटेशन भरा जाना था। मगर वादीनी अपने स्वर्गीय पिता किस्तुराराम की जिन्दा वारिस दो पुत्रीया व पत्नि होते हुए उन्हे बिना नोटिस दिये उपरोक्त मिटेशन भरा गया।कि प्रार्थीनी व विप्रार्थीनी स 09 अपने स्वर्गीय पिता किस्तुराराम पुत्र मोतीजी की जिन्दा वारिस पुत्रीया है तथा वादीनी अपने पिता की भुमि में अपने हक हिस्से की खातेदारी भूमि में वादीनी का 1/12 हिस्सा खातेदारी का वादीनी है व प्रतिवादी स. 09 का 1/12 हिस्सा है। शेष हिस्सा प्रतिवादी स. 01 ता 03 मगाराम गाद पुत्र पदमाराम के पुत्रो का 1/2 हिस्सा है हिराराम के पुत्र का 1/6 हिस्सा है, प्रतिवादी स. 05 ता 08 प्रतिवादी स. 04 गुणेशाराम के पुत्रो का 1/6 हिस्सा है। तथा प्रार्थीनी अपने पिता के 1/6 हक हिस्से में अपने हिस्से आये 1/12 हिस्से अनुसार कब्जा व काश्त है।पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी एवं बंदौबस्त रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की पैतृक एवं खातेदारी की भूमि है, ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। यदि दौराने विचारण वाद पैतृक एवं संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने की कोशिश की जाती है अथवा विवादित भूमि के आगे से आगे बैचान इत्यादि होने से राजस्व रेकर्ड की स्थिति में फेरबदल हो जाता है,तो प्रार्थीगण को क्षति होनी की संभावना बढती है एवं पक्षकारान के मध्य विवाद बढने से इन्कार भी नहीं किया जा सकता है व वाद को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदिगीया बढेगी। ऐसी स्थिति में प्रकरण में अन्तरिम स्थगन आदेश को ताफैसला मूल वाद कन्फर्म किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विप्रार्थीगण को मूलवाद के ताफैसला तक जरियें स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि वे मौजा वणाको का बेरा पटवार हल्का एड सिणधरी में खसरा स. 15 रकबा 5.0967 हैक्टयर (31.12 बीघा) खसरा स. 55 रकबा 1.7636 हैक्टयर (10.19 बी मौजा वणाको का बेरा पटवार हल्का एड सिणधरी में खसरा स. 15 रकबा 5.0967 हैक्टयर (31.12 बीघा) खसरा स. 55 रकबा 1.7636 हैक्टयर (10. 19 बीघा), खसरा स. 57 रकबा 2. 8396 हैक्टयर (23.14 बीघा) कुल रकबा 9.6999 हैक्टेयर बीघा), खसरा स. 57 रकबा 2. 8396 हैक्टयर (23.14 बीघा) कुल रकबा 9.6999 हैक्टेयर भूमी में प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार का रद्दोबदल अथवा हस्तान्तरण इत्यादि नहीं कर राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:13:11 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 31.01.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।